(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 59/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 04 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जबकि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'सिरामिक टेबल वेयर और किचन वेयर, छुरी कांटे और टायलेट आइटम को छोड़कर' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 6911, 6912 के अंतर्गत आता है, के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी अधिसूचना संख्या 14/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 08 दिसंबर 2017, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।, खंड-। में प्रकाशित किया गया था, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों में चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'विषयगत माल' पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी।

और जबकि उक्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'विषयगत माल' के आयात पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 फरवरी 2018, जिसे सा.का.नि 179(अ), दिनांक 21 फरवरी 2018 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा प्रतिपाटन शुल्क लगाया था।

और जबकि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 7/33/2020-डीजीटीआर, दिनांक 25 सितम्बर 2020, जिसे दिनांक 25 सितम्बर 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'विषयगत माल' के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क के सर्कमवेंशन के मामले में यह विनिश्चय करने के लिए जांच कार्य शुरू किया गया था चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'विषयगत माल' के आयात पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 फरवरी 2018, जिसे सा.का.नि 179(अ) दिनांक 21 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क जो कि मलेशिया में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित 'विषयगत माल' जो कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 6911, 6912 के अंतर्गत आते हैं, पर उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

और जबकि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/33/2020-डीजीटीआर, दिनांक 03 अगस्त 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड-। में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि

(क) विषयगत वस्तुओं के मामले में व्यापार के पैटर्न में बदलाव आया है और व्यापार के पैटर्न में इस तरह के बदलाव के लिए शुल्क लगाने के अलावा कोई आर्थिक औचित्य नहीं दिखता है;

(ख) विषयगत वस्तुओं के आयात बहुत ही कम कीमत पर हो रहे है;

(ग) विषयगत वस्तुओं के आयात ने चीन जनवादी गणराजय में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर मौजूदा प्रतिपाटन उपायों के उपचारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है;

(घ) प्रतिपाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है, विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क में कमी के कारण वाणिज्यिक लाभ से विषयगत वस्तुओं का निर्यात करके उत्पादकों या निर्यातकों को लाभ हुआ है;

और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादत या वहां से निर्यातित 'विषयगत माल' पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 04/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 21 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि 179(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाये गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को मलेशिया में मूलतः उत्पादित या वहां से भारत में निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर भी लगाये जाने की सिफारिश की है।

अत: अब प्रतिपाटन नियमावली के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जिनकी विशेषता कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, जोकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है जो कालम (2) के तत्संबंधी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से मूलतः उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कालम (11) विनिदिष्ट मुद्रा में और कालम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	**उप शीर्ष**	***वस्तु का विवरण**	**विशेषता**	**मूलतः उत्पादन का देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**राशि**	**वजन की**	**मुद्रा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
1.	6911 और 6912	सिरामिक टेबल वेयर और किचिन वेयर	कोई भी	मलेशिया	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	1.04	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर

2.	6911 और 6912	सिरामिक टेबल वेयर और किचिन वेयर	कोई भी	मलेशिया	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	1.04	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
3.	6911 और 6912	सिरामिक टेबल वेयर और किचिन वेयर	कोई भी	मलेशिया और चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	1.04	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर

*विषयगत वस्तु का विवरण "सिरामिक टेबल वेयर और किचन वेयर, छुरी कांटे और टायलेट आइटम को छोड़कर"' है बोनचाइना, स्टोनवेयर और पोर्सलिन सिरेमिक उत्पादों का निर्माण करता है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और यह तब तक लागू रहेगी जब तक 'विषयगत माल' पर उपर्युक्त अधिसूचना सं 04/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 फरवरी, 2018, जिसे सा.का.नि 179(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क जारी रहेगा (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अतिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) और इस प्रतिपाटन शुल्क का भारतीय मुद्रा में भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों हेतु ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख, वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/188/2021-(टीआरयू)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार